

कार्यालय तहसीलदार (मू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-मू.अ./20 /

दिनांक:-10/10/2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामचंद्र लक्ष्मी पिता शुभानंद पिता देलखी प.ह. पाण्डेरी के राजस्व ग्राम पाण्डेरी में जमाबन्दी संवत् 2018-81 की खाता संख्या 613 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व मू.अ.नि ने सम्मानजनक जाति/नाम पालनी किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम पालनी का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/834

दिनांक:-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का पाण्डेरी

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कायदा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 139

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रामचंद्र पिता शुभानंद राजस्व ग्राम पाण्डेरी प.ह. पाण्डेरी खाता संख्या 613 में जाति/नाम पालनी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति/नाम पालनी के रूप में पहचान पत्र व मू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामचंद्र पिता शुभानंद जाति/नाम पालनी एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 139 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. पाण्डेरी राजस्व रिपोर्ट अनुसार अगल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ